न्यायालय भू–प्रबन्ध अधिकारी एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी उदयपुर

पीठासीन अधिकारी :– एल. एन. मंत्री, आर॰ए॰एस॰

प्रकरण संख्या 29 / 2013 (उदयपुर डिक्री)

भूता पिता ननका जी भील, निवासी खाखड़, तहसील झाड़ोल, जिला उदयपुर (राज.)

..... अपीलान्ट

बनाम

1. धर्मा पिता लाला जी भील, निवासी खाखड़, तहसील झाड़ोल, जिला उदयपुर (राज.)
2. जुमा पिता लाला जी भील, निवासी खाखड़, तहसील झाड़ोल, जिला उदयपुर (राज.)
3. मोतीलाल पिता नाना जी भील, निवासी खाखड़, तहसील झाड़ोल, जिला उदयपुर (राज.)
4. पूना पिता नाना जी भील, निवासी खाखड़, तहसील झाड़ोल, जिला उदयपुर (राज.)
5. दीता पिता नाना जी भील, निवासी खाखड़, तहसील झाड़ोल, जिला उदयपुर (राज.)
6. मोहन पिता नाना जी भील, निवासी खाखड़, तहसील झाड़ोल, जिला उदयपुर (राज.)
7. श्रीमती भूरकी पुत्री नाना जी भील, निवासी खाखड़, तहसील झाड़ोल, जिला उदयपुर (राज.)
8. श्रीमती लसुडी बाई पत्नी भेरा जी भील, निवासी खाखड़, तहसील झाड़ोल, जिला उदयपुर (राज.)
9. श्रीमती लक्ष्मी देवी पत्नी भीमा जी भील, निवासी खाखड़, तहसील झाड़ोल, जिला उदयपुर (राज.)
10. राजस्थान राज्य जरिये तहसीलदार, झाड़ोल, जिला उदयपुर (राज.)
11. कसना पिता ननका जी भील, निवासी खाखड़, तहसील झाड़ोल, जिला उदयपुर (राज.)

.....रेस्पोन्डेन्टगण

अपील अन्तर्गत धारा 223 राजस्थान
काश्त0 अधि0 –1955 विरूद्ध निर्णय
व डिक्री उपखण्ड अधिकारी झाड़ोल
दिनांक 14.03.2012 प्र.सं. 56 / 2009

———/———

उपस्थित(वक्तबहस) 1– श्री नरेन्द्र सोनी अभिभाषक अपीलान्ट

2– श्री लोकेश जैन अभिभाषक रेस्पोन्डेन्ट 1 से 7

3– श्री पंकज भटनागर राजकीय अभिभाषक रे॰ 10

———::———

निर्णय दिनांक 25–10–2017

प्रकरण के संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अधिनस्थ न्यायालय में वादी/रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 द्वारा प्रतिवादी संख्या 4/अपीलान्ट व अन्य रेस्पोन्डेन्टगण के विरूद्ध एक वाद अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का प्रस्तुत कर निवेदन किया कि ग्राम खाखड़ में वाद पत्र के साथ संलग्न परिशिष्ट ''अ'' की भूमियां वादी एवं प्रतिवादी संख्या 1 से 5 की सहखातेदारी में अंकित हैं। इसी प्रकार परिशिष्ट ''ब'' की भूमि वादी एवं प्रवितादी संख्या 1 से 6 की खातेदारी में अंकित है। पक्षकारान का सजरा वाद पत्र की कलम संख्या 3 अनुसार है, जिसके अनुसार मूल पुरूष गुला जी के तीन पुत्र लाला, नाना व ननका हुए एवं प्रत्येक का 1/3 हिस्सा है। प्रतिवादी संख्या 1 जुमा व वादी धर्मा लाला के पुत्र हैं। प्रतिवादी संख्या 2 होमली व प्रतिवादी संख्या 3 भूरकी नाना की पुत्रियां हैं तथा प्रतिवादी संख्या 4 भूता व प्रतिवादी संख्या 9 कसना ननका के पुत्र हैं। परन्तु कसना ने परिशिष्ट ''अ'' में अपना 1/6 हिस्सा प्रतिवादी संख्या 5 श्रीमती लसुडी बाई को बिकाव कर दिया है व इसी प्रकार परिशिष्ट ''ब'' की भूमि से अपना हिस्सा प्रतिवादी संख्या 6 श्रीमती लक्ष्मी देवी को विक्रय कर दिया है, जिससे कसना का हिस्सा प्रतिवादी संख्या 5 व 6 के नाम दर्ज हुआ। वादग्रस्त भूमियों का विधिवत विभाजन नहीं हुआ है। अतएवं मीट्स एण्ड बाउण्ड्स विभाजन किया जावे।

प्रकरण में अधिनस्थ न्यायालय में प्रतिवादी संख्या 3 व 4 के अधिवक्ता द्वारा अधिकार पत्र प्रस्तुत किया गया। प्रतिवादी संख्या 1, 2, 5, 6, 7, 8 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहने से उनके विरूद्ध एकतरफा कार्यवाही की गयी। प्रकरण में अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा जवाबदावा प्रस्तुत नहीं करने से जवाबदावा बन्द किया गया तथा प्रकरण साक्ष्य वादी में रखते हुए वादी धर्मा के बयान कमलबद्ध किये गये तथा दिनांक 06–03–2012 को उभयपक्षों की बहस सुनने के बाद दिनांक 14–03–2012 को वकील उभयपक्ष की उपस्थिति में वादी का वाद प्रारम्भिक डिक्री किया तथा बंटवाड़ा प्रस्ताव

तलब किया जाकर दिनांक 28–05–2012 को वकील उभयपक्ष की उपस्थिति में अंकित डिक्री जारी की गयी।

प्रकरण में अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 4 द्वारा प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 14–03–2012 के विरूद्ध इस न्यायालय में अपील दिनांक 24–01–2013 को प्रस्तुत की तथा अपील के साथ दफा 5 जाब्ता मियाद का आवेदन प्रस्तुत कर कथन किया कि उन्हें अधिनस्थ न्यायालय के निर्णय की प्रथम बार जानकारी दिनांक 06–01–2013 को तब हुई जब रेस्पोन्डेन्ट धर्मा ने मौके पर आकर प्रार्थी/अपीलान्ट के कब्जे व खातेदारी की भूमि में पत्थर डालना शुरू किया तथा प्रार्थी को बेदखल करने की धमकी दी। प्रार्थी/अपीलान्ट अनपढ़ आदिवासी व्यक्ति होने से कानून का ज्ञान नहीं है। ताईद में शपथ पत्र भी प्रस्तुत किया।

→ हमारे द्वारा अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली व रेकार्ड का अवलोकन किया गया तो यह पाया कि आश्चर्य जनक रूप से अपीलान्ट के वकील द्वारा दिनांक 06–03–2012 को बहस में भाग लिया गया तथा दिनांक 14–03–2012 को वकील अपीलान्ट/प्रतिवादी संख्या 4 की उपस्थिति में प्रकरण में प्रारम्भिक डिक्री जारी की गयी तथा अंतिम डिक्री भी दिनांक 28–05–2012 को वकील अपीलान्ट की उपस्थिति में जारी की गयी। तद्नुसार अपीलान्ट को प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 14–03–2012 की जानकारी उसे दिनांक 06–01–2013 को होने का कथन किया गया है, वह प्रथम दृष्टया रेकार्ड के विपरीत है। तद्नुसार अपील बेरून मयाद होने से मयाद के बिन्दु पर ही खारिज योग्य है।

हालांकि अपील बेरून मयाद है, परन्तु हम प्रकरण में फिर भी गुणावगुण पर निर्णय करना उचित समझते हैं। प्रकरण में रेस्पोन्डेन्ट संख्या 1 से 7 की ओर से वकील श्री लोकेश जैन उपस्थित हुए। रेस्पोन्डेन्ट संख्या 8 व 9 बावजूद सूचना अनुपस्थित रहे। प्रतिवादी संख्या 10 की ओर से औपचारिक पक्षकार राजकीय अधिवक्ता उपस्थित हुए।

वकील अपीलान्ट द्वारा प्रमुख रूप से यह उजर लिया गया कि धर्मा ने होमली जो कि वाद के दिन जीवित ही नहीं थी, उसके विरूद्ध गलत तरीके से वाद प्रस्तुत किया, जबकि उक्त होमली के विधिक प्रतिनिधि मोता, पूना, दीता व मोहन हैं, जिसको उक्त अपील में रेस्पोन्डेन्ट बनाया गया है।

अपीलान्ट ने उक्त प्रकरण में अधिवक्ता नियुक्त किया था, जिन्होंने अपीलान्ट को आवश्यकता होने पर बुलाने को कहा था, किन्तु वकील ने कोई सूचना अपीलान्ट को नहीं दी गयी एवं अपीलान्ट को बिना सूचना दिये जवाबदावा बन्द कर दिया तथा कोई पैरवी नहीं की। अपीलान्ट का मौके पर सड़क की तरफ की भूमि पर कब्जा है, जिसमें अन्य रेस्पोन्डेन्ट को मिला दिया गया है तथा अपीलान्ट के साथ धोखा–धड़ी हुई है। बंटवाड़े के समय भी अपीलान्ट को कोई सूचना नहीं दी गयी है।

→ अपीलान्ट द्वारा लिये गये उजरात के सन्दर्भ में वस्तु स्थिति इस प्रकार है कि अपीलान्ट द्वारा अपना सारा दायित्व अपने अधिवक्ता के मत्थे मढ़ दिया है तथा अपने अधिवक्ता के विरूद्ध इस बाबत् क्या कार्यवाही की यह उसके द्वारा नहीं बताया गया है। अपीलान्ट सारी गलती अधिवक्ता के मत्थे मढ़ कर अपने दायित्वों से मुक्त नहीं हो सकता है। प्रकरण में जहां तक होमली के विरूद्ध वाद पेश करने का प्रश्न है, उसकी मृत्यु वाद प्रस्तुत करने से पूर्व हुई या दौराने वाद इस बाबत् कोई साक्ष्य अपीलान्ट ने न तो अधिनस्थ न्यायालय में प्रस्तुत की है न ही इस न्यायालय में, जिससे उसकी मृत्यु कब हुई, यह निश्चयात्मक रूप से नहीं कहा जा सकता। आश्चर्य जनक रूप से जिन्हें अपीलान्ट ने होमली के वारिस मोता, पूना, दीता व मोहन को प्रकरण में रेस्पोन्डेन्ट बनाया है, उनके द्वारा भी इस बाबत् किसी प्रकार की आपत्ति नहीं की गयी है। तद्नुसार अपीलान्ट का यह उजर भी समायत योग्य नहीं है।

प्रकरण में अपील प्रारिम्भक डिक्री के विरूद्ध ही पेश की गयी है, जबकि अपीलान्ट ने अंतिम डिक्री के उजर भी लिये हैं, जो मान्य नहीं हैं, क्योंकि न तो अंतिम डिक्री के विरूद्ध अपील ही प्रस्तुत हुई है न ही अंतिम डिक्री का शीर्षक में उल्लेख किया गया है एवं न ही अंतिम डिक्री के निर्णय की प्रतिलिपि ही पेश की है। प्रकरण में यह भी पाया गया कि सूचना पत्र में अपीलान्ट को सूचना दिये जाने पर उसके द्वारा हस्ताक्षर नहीं किये ये हैं तथा बंटवाड़ा प्रस्ताव के दौरान भी भू–अभिलेख निरीक्षक ने यह अंकित किया है कि मौके पर प्रतिवादी भूता उपस्थिति, परन्तु हस्ताक्षर करने से इंकार किया।

अपीलान्ट द्वारा अपने समर्थन में आर.आर.टी. 2003 (2) पेज 778 प्रस्तुत की है, जिसमें तहसीलदार स्वयं को मौके पर बंटवाड़ा किये जाने का विवेचन किया गया है, परन्तु प्रकरण में अपीलान्ट द्वारा अंतिम डिक्री के विरूद्ध अपील ही पेश नहीं की गयी है। इसी प्रकार की अन्य नजीर आर. आर.टी. 2001 (2) पेज 1233 प्रस्तुत की है, जो भी तहसीलदार के दायित्वों से संबंधित है, परन्तु अपील अंतिम डिक्री के विरूद्ध पेश ही नहीं की गयी है। तद्नुसार उक्त दोनों नजीरें इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होती हैं।

अतएवं अपील अपीलान्ट बेरून मयाद होने एवं सारहीन होने खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 14–03–2012 यथावत रखी जाती है। तद्नुसार डिक्री पर्चा जारी हो।

पत्रावली बाद पूर्ण प्रविष्टि नंबर से कम होकर दाखिल दफ्तर हो। अधिनस्थ न्यायालय की पत्रावली लौटाई जावे। निर्णय आज दिनांक 25–10–2017 को खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

डिगरी व सीगे अपील

(ओ.41, रूल 35, जाब्ता दीवानी)

(Civil Procedure Code Appendix 'G'-9)

अज अदालत.....**भू.प्र.अ. एवं पदेन रा.अ.अ.**.....मुकाम.....**उदयपुर**.....
व इजलास .....**एल. एन. मंत्री, आर.ए.एस.** .....

भूता पिता ननका जी भील, निवासी खाखड़, तहसील झाड़ोल, जिला उदयपुर बनाम **धर्मा पिता लाला जी भील, निवासी खाखड़, तहसील झाड़ोल, जिला उदयपुर व अन्य**

अपील नं.....**29 / 2013**.....व नाराजगी डिगरी अदालत .....**उपखण्ड अधिकारी**.....
.....**झाड़ोल**..... मुकाम.....मुवर्खे.....**.....14**.....माह.....**03**.....**2012**

दावा बाबत

यह अपील व तारीख.....**25**....माह.....**.10**.....सन् **2017** रूबरू.....**पक्षकारान** व हाजरी.....**श्री नरेन्द्र सोनी**....मिनजानिब अपीलान्ट व .....**श्री लोकेश जैन**

.....रेस्पोन्डेन्ट समाअत के लिए पेश होकर हुक्म हुआ कि..... **अपील बेरून मयाद होने एवं सारहीन होने खारिज की जाकर अधिनस्थ न्यायालय का निर्णय व डिक्री दिनांक 14–03–2012 यथावत रखी जाती है।**

(खर्चा अपील हाजा का हस्ब तफसील जेल तादादी मुवलिग.....**X**.....).....रूपये .... **X**..... अदा करें, खर्चा मुकदमा मातहत का..... **X** .....अदा करें।

मेरे हस्ताक्षर व मुहर अदालत आज तारीख.....**25**.....माह.....**.10**.....**2017** को जारी किया गया ।

(एल.एन. मंत्री)
भू–प्रबन्ध अधिकारी
एवं पदेन राजस्व अपील अधिकारी
उदयपुर

खर्चा अपील

अपीलान्ट	रू0	पै0	रेस्पोन्डेन्ट	रू0	पै0
1. स्टाम्प अपील ... . 2. स्टाम्प वकालत नामा ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. वकील फीस बाबत ..... मीजान			1. स्टाम्प वकालत नामा... 2. स्टाम्प अर्जी ..... 3. इजराय हुक्मनामा ..... 4. मेहनताना वकील..... मीजान		

नोटः– इस खर्चे के फार्म पर फरीकेन का कुल खर्चा अपील का, चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो।